ग्राम पंचायत गोलजमाला, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत गोलजमाला, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री जगदीश सिंह	4.2013 से 22.1.2016
2	श्री सुभाष चन्द	23.1.2016 से 31.3.2016 लगातार

सचिव

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री हेम राज	4.2013 से 3.2016 लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत गोलजमाला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि(लाखों में)
10	पंचायत राजस्व की राशि वसूली हेतु शेष पाया जाना	2.25
7	अनुदान की राशि का उपयोग न करना	10.36
11	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही अनुचित व्यय करना	8.71
12	औपचारिकताओं को पूर्ण बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	9.45

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत गोलजमाला, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक

दिनांक 18.6.2016 से 11.7.2016 के दौरान ग्राम पंचायत गोलजमाला के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 7/2013, 12/2014, 12/2015 तथा माह 3/2014, 3/2015 और 4/2015 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत होने अथवा सूचना उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0 प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत गोलजमाला, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क की ₹5000 (पांच हजार रूपये) बनती है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹5000 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 29, दिनांक 11.7.2016 द्वारा सचिव पंचायत गोलजमाला से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत गोलजमाला नालागढ़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1 तथा परिशिष्ट–2** पर भी दिया गया है।

(क) स्वः स्त्रोत

ग्राम पंचायत गोलजमाला के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण इस प्रकार है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	164694.92	40032	204726.92	–	204726.92
2014–15	204726.92	23627	228353.92	–	228353.92
2015–16	228353.92	19979	248332.92	–	248332.92

(ख) अनुदान

ग्राम पंचायत गोलजमाला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	350515	1592030	1942545	1177206	765339
2014–15	765339	1498046	2263385	1014577	1248808
2015–16	1248808	1810026	3058834	2095649	963185

(ख) बैंक समाधान विवरणी में अन्तर का पाया जाना

ग्राम पंचायत गोलजमाला (नालागढ़) के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की बैंक समाधान विवरण निम्न प्रकार से था।

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वही के अनुसार शेष			
स्वयं स्त्रोत			248332.92
अनुदान			963185.00
		योग	**₹1211517.92**
दिनांक 31.3.2016 को बैंक पास बुक के अनुसार शेष			
खाता सं0	101334022000090		390027.00
खाता सं0	101334001006214		1187238.92
खाता सं0	101334022000171		152926.00
खाता सं0	101334022000083		243868.00
		योग	**₹1974059.92**
अन्तर (बैंक में अधिक जमा राशि)			**₹762542.00**

उपरोक्त विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 बैंक में (1974059.92–1211517.92=₹762542) अधिक जमा थी, जिसके सन्दर्भ में ग्राम पंचायत के सचिव को अधियाचना संख्याः 27, दिनांक 5.7.2016 द्वारा सूचित किया गया था तथा सचिव ग्राम पंचायत ने मौखिक सूचित किया है कि उक्त अन्तर का मिलान कर दिया जाएगा और भविष्य में नियमानुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मिलान किया जाएगा। अतः उक्त अन्तर की राशि का शीघ्र मिलान किया जाए और अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाएं तथा भविष्य में भी प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ वही व बैंक पास बुकों का मिलान करके अन्तर का समाधान किया जाए तथा निर्धारित प्रमाण पत्र द्वारा हस्ताक्षरित करके रोकड़ वही में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा रोकड़ वही के शेष तथा बैंक के शेष में अन्तर पाया जाना

(क) ग्राम पंचायत गोलजमाला की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खाते के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) रोकड़ वही में ₹504 कम दर्शाने बारे

ग्राम पंचायत गोलजमाला के अवधि 4/2013 से 3/2016 की रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि सचिव द्वारा रोकड़ वही में निम्न विवरणानुसार ₹504 कम दर्ज की गई थी,

जिसको नियमानुसार दर्ज करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रसीद सं0/दिनांक	प्राप्त की गई राशि	रोकड़ वही में दर्ज की गई राशि	कम दर्ज की गई राशि
1	—, 16.7.2014	765	665	100
2	36618, 5.11.2014	100	—	100
3	36623—36625,—	310	6	304
			कुल योग	₹504

6 उप—प्रधान/वार्ड सदस्यों को ₹1300 की अनुचित अदायगी

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(2) के अनुसार ग्राम पंचायत के सदस्यों को ग्राम पंचायत की बैठकों में उपस्थित होने के लिए, ऐसी दरों पर जैसे कि राज्यों सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जाए, बैठक की फीस दी जाएगी, परन्तु ग्राम पंचायत के सदस्यों को यदि वह ग्राम पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो बैठक फीस नहीं दी जाएगी। ग्राम पंचायत के कार्रवाई रजिस्टर/अभिलेखों की जांच के उपरान्त पाया गया कि कार्रवाई रजिस्टर के अनुसार माह 6/2013, 6/2015, 2/2016 व 3/2016 के दौरान ग्राम पंचायत के सदस्यों को बैठकों में बिना उपस्थिति के निम्न विवरणानुसार मानदेय दिया गया है, जोकि अनुचित है व नियमों के विरूद्ध है।

क्र0 सं0	दिनांक	सदस्यों का नाम	रेट	मानदेय का भुगतान
1	12.6.2013	धर्मपाल (सदस्य)	125	125
2	27.6.2015	धर्मपाल (सदस्य)	125	125
3	27.6.2015	देवेन्द्र सिंह (सदस्य)	125	125
4	10.2.2016	सुरेश कुमारी (सदस्य)	175	125
5	25.3.2016	अमरदीप (उप—प्रधान)	750	750
			कुल योग	₹1300

अतः उक्त अनियमितता के बारे में नियमानुसार कार्रवाई करके अनुपालना से लेखा—परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान की ₹10.36 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट—2)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान की **₹1036567** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ोतरी

की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना, सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8 निर्धारित सीमा से अधिक राशि रखना

पंचायत की रोकड़ वहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–'3'** में दिए गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि (वित्त बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत की आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 पंचायत राजस्व की ₹2.25 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व लगभग ₹2.25 लाख की वसूली शेष थी।

गृह कर

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	41370	78330	119700	40032	79668
2014–15	79668	78330	157998	4390	153608
2015–16	153608	78330	231938	6877	225061

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए

11 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹8.71 का अनियमित व्यय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–'4'** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹8.71 लाख का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए

बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹9.45 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'5'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹9.45 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। रजिस्टरों का विवरण निम्न प्रकार से है।

(i) स्टॉक रजिस्टर
(ii) चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
(iii) जल प्रभार रजिस्टर
(iv) भवनों व दुकानों के किराये से सम्बन्धित रजिस्टर
(v) अन्य स्त्रोतों से आय का रजिस्टर
(vi) अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर
(vii) अन्य रसीदों का स्टॉक रजिस्टर
(viii) गृहकर की वसूली रजिस्टर

14 प्रत्यक्ष सत्यापन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना

अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

16 **निष्कर्षः–** ग्राम पंचायत के लेखाओं के रख–रखव में उचित सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(4)2/2016, खण्ड–1–4722–4725 दिनांकः 02.09.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत गोलजमाला, विकास खण्ड नालागढ़, तहसील नालागढ़, जिला सोलन हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09 को पैरा संख्या : 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी सोलन, जिला सोलन हि0 प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नालागढ़, तहसील सोलन, जिला सोलन हि0 प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.